बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
कार्यालय आदेश

सं0–3/स्था0 मुक0 परामर्श–20/2016– (3)/रा0, पटना–15, दिनांक– /02/2017

समादेश वाद सं0–13926/2016 अशोक कुमार चौधरी एवं अंगद सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा समरूप समादेश वाद सं0–16269/2016, समादेश वाद सं0–13209/2016, समादेश वाद सं0–13909/2016 तथा अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेशों में संबंधित अंचलों में प्रभारी अंचल अधिकारियों के स्थानान्तरण के बिन्दु पर दिनांक–22.09.2016 की यथा–स्थिति (Status Quo) बनाये रखने का आदेश दिया गया।

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त न्यायादेश से पटना जिला के दनियावाँ अंचल में पदस्थापित/कार्यरत राजस्व अधिकारी–सह–प्रभारी अंचल अधिकारी श्री अनिल कुमार चौबे का पूर्व में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय आदेश सं0 423(3)/रा0, दिनांक–16.09.2016 किया गया पदस्थापन/स्थानान्तरण आच्छादित नहीं है।

3. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यालय आदेश सं0–423(3)/रा0, दिनांक–16.09.2016 द्वारा यथा–निदेशित श्री अनिल कुमार चौबे, राजस्व अधिकारी–सह–प्रभारी अंचल अधिकारी, दनियावाँ अंचल, पटना को कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार का पदभार ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है।

4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना सं0–422(3)/रा0, दिनांक–16.09.2016 द्वारा यथा अधिसूचित प्रभारी अंचल अधिकारी, दनियावाँ, पटना सम्प्रति विभागीय मुख्यालय में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री अनिल कुमार मिश्रा को अधिसूचना सं0–422(3)/रा0, दिनांक–16.09.2016 द्वारा यथा अधिसूचित प्रभारी अंचल अधिकारी, दनियावाँ, पटना के पद एवं कार्यालय में प्रभार ग्रहण करने का आदेश दिया जाता है।

5. यह आदेश तत्काल प्रवृत्त होगा।

6. आदेश में अंकित सभी पदाधिकारियों को निर्गत की तिथि से स्वतः विरमित किया जाता है।

7. आदेश में अंकित दोनों पदाधिकारी अपने वर्तमान पद का प्रभार शीघ्र सौंप कर बिना पारगमन अवधि का उपभोग किये पूर्व में निर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सम्बन्धित अधिसूचना तथा आदेश द्वारा यथा–निदेशित पद एवं कार्यालय में अंकित पद पर योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे।

8. समाहर्त्ता, पटना आदेश में अंकित पदाधिकारी श्री अनिल कुमार चौबे, राजस्व अधिकारी–सह–प्रभारी अंचल अधिकारी, दनियावाँ अंचल, पटना को कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार का पदभार ग्रहण करने हेतु शीघ्र विरमित करेंगे।

9. पूर्व की एतद् संबंधित अधिसूचनाएँ/आदेश इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

ह0/–
(विनोद कुमार झा)
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

ज्ञापांक –3/स्था0 मुक0 परामर्श–20/2016–   (3)/रा0,   पटना–15 दिनांक–

प्रतिलिपि–निदेशक, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भू–अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/समाहर्त्ता, पटना को उनके ज्ञापांक–47/स्था0, दिनांक–16.01.2017 के प्रसंग में/समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप–कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(विनोद कुमार झा)
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

ज्ञापांक –3/स्था0 मुक0 परामर्श–20/2016–   (3)/रा0,   पटना–15 दिनांक–

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(विनोद कुमार झा)
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

ज्ञापांक –3/स्था0 मुक0 परामर्श–20/2016– 31   (3)/रा0,   पटना–15 दिनांक– 16-02-17

प्रतिलिपि–आई0टी0, मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेब–साईट पर प्रकाशनार्थ एवं सभी संबंधित को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।